

20.12.22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील पार्थी अनुपस्थित।
पार्थी स्वयं अनुपस्थित। पार्थी की मय अधिवक्ता
कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें
दिलाई गई। आवजुद आवाजे दिलाने के पार्थी
एवं पार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः
इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा
दिनांक 22.06.2020 गिरस्त की जाकर उक्त
उपरोक्त पत्रावली पार्थी की अदम हाजरी
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फलान सुमार होकर दालिम दफ्तर
हो।

(पुनी)
अधीनस्थ अधिकारी
SDO (मुजफ्फरगंज)

